UPKS010018222026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम, कौशाम्बी।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 72/2026

1– पप्पू निषाद पुत्र स्व. रामभजन,
2– रोहित कुमार पुत्र पप्पू निषाद,
3– गुड्डू उर्फ उमेश कुमार पुत्र मिश्रीलाल,
4– चन्द्रकुमार उर्फ ननभइया पुत्र चिरौंजी लाल,
निवासीगण ग्राम–केवट का पुरवा, थाना–सराय अकिल, जनपद–कौशाम्बी।

. . . . . अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य . . . . . अभियोजन

18.06.2026

1. जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **पप्पू निषाद, रोहित कुमार, गुड्डू उर्फ उमेश कुमार व चन्द्र कुमार उर्फ ननभइया** की ओर से मु.अ.सं.–127/2025 अंतर्गत धारा–115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)va व 3(1) ध अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम थाना सराय अकिल, जनपद कौशाम्बी के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. वादिनी मुकदमा को प्रेषित नोटिस तामील है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 07/05/025 को समय लगभग 9 बजे शाम को वादिनी मुकदमा के पति को गाली गलौज व मारपीट गाव के दबंग किस्म के लोग गुड्डू निषाद पुत्र मिश्रीलाल, ननभैया पुत्र चिरौजी लाल, पप्पू पुत्र स्व० रामभजन व रोहित पुत्र पप्पू निषाद, निवासीगण केवट का पुरवा, थाना–सराय अकिल, जनपद–कौशाम्बी ने प्रार्थिनी के पति के मार पीट के मामला में गुस्साए हुए लोग जो दिनांक 13/05/025 को समय लगभग 1.30 बजे दोपहर को प्रार्थिनी का पति रोजी रोटी के लिए बाहर चला गया था जो प्रार्थिनी द्वारा कूडा फेकने को लेकर पुरानी रंजिश को लेकर गन्दी गन्दी गाली गलौज विपक्षीगण करने लगे। प्रार्थिनी विरोध किया तो ईट पत्थर से मार पीट किया, जिससे प्रार्थिनी के दाये कन्धे के पीछे अन्दुरूनी चोटे आयी है। आस–पास के लोग आये तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

5. आवेदक/अभियुक्तगण का अपने जमानत प्रार्थना पत्र में एवं उसके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वे निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। सही बात यह है कि वादी मुकदमा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में बनाये गये मुल्जिमानों के दरवाजे के सामने कूड़ा–करकट व बच्चों की लैट्रीन पॉलीथीन में भरकर फेंकना आम बात

थी, वादी मुकदमा आये दिन प्रार्थीगण को धमकी देती थी तथा स्वयं गाली–गलौज देती थी कि तुम्हें एस.सी./एस.टी. के फर्जी मुकदमें में फॅसा दूॅगी। इसी बात को लेकर कई बार प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा के परिवार के बीच कहा–सुनी हुई। वादी मुकदमा द्वारा जानबूझकर झगड़ा किया गया और प्रार्थीगण के परिवारजनों के महिलाओं व बच्चों को गाली–गलौज किया गया और फर्जी मुकदमा सरकारी धन के लालच में प्रार्थीगण के विरुद्ध लिखाया गया। कथित अपराध की घटना दिनांक 07.05.2025 को कही गयी है जबकि थाने पर सूचना दिनांक 19.05.2025 को दी जाती है, जो पूर्णतया सोच–समझकर प्रार्थीगण को एस.सी./एस.टी. एक्ट में फॅसाने की गरज से दी जाती है। प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा को छोड़कर शेष धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर बिना विचार किये जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

8. अभियुक्तगण **पप्पू निषाद, रोहित कुमार, गुड्डू उर्फ उमेश कुमार व चन्द्र कुमार उर्फ ननभइया** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र के अधीन अंकन 20,000-20,000/–(बीस-बीस हजार) रूपये का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उन्हे जमानत पर रिहा किया जाये।

क– अभियुक्तगण प्रकरण के किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगें और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

ख– अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगे और वे विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगे।

ग– अभियुक्तगण, आरोप व धारा–313 दं0प्र0सं0 के चरण पर व्यक्तिगत उपस्थित रहेगा।

घ– उपरोक्त शर्तो की अवहेलना किए जाने पर न्यायालय को यह अधिकार रहेगा कि वह अभियुक्त को दी गयी जमानत के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही संचालित करे।

विशेष न्यायाधीश
अ0जा0/अ0ज0जा0(अ0नि0) अधिनियम
कौशाम्बी।

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.06.18 17:16:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court